



Neutral Citation No.-2026:AHC:2066

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-11235 वर्ष 2025

जयकुमार उर्फ जयका आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार, जितेंद्र कुमार सिसोदिया

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अनुपम दुबे, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आज न्यायालय में दायर पूरक हलफ़नामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार सिसोदिया, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-104 वर्ष 2020 में धारा 302, 120-बी, 34 भ०द०वि०, थाना-काकोड, जिला-बुलंदशहर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने दो अन्य नामित व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ सूचनाकर्ता के पिता पर गोली चला दी, जिससे 20.05.2020 को लगभग 17.45 बजे उसकी मृत्यु हो गई।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में लगभग 3.5 घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि धारा 313 द०प्र०स० के तहत अभियुक्त का बयान एक साल पहले दर्ज किया गया था और गवाहों के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक 28.08.2020 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री अनुपम दुबे और अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है और आरोपी का बयान धारा 313 द०प्र०स० के तहत पहले ही दर्ज किया जा चुका है, इस प्रकार, वह जमानत के हकदार नहीं है।

9. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 04.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मामले को बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए पोस्ट किया गया है और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

10. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि हो सकती है या आरोपी बरी हो सकती है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

11. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

12. जमानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

13. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी.**

220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 5, 2026

एसवाई

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)